

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1571

अध्ययक दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय ज्ञानपीठ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/प्राथमिक कार्यालय अंतर्गत इन्फिन्ट, नई दिल्ली द्वारा ईशिका सत्र 2020-21 हेतु विस्तार संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने से वास्तव प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को उत्तर, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सभिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सामाजिक संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/संस्थापक/प्रवेश लगता मुक्ति सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता सभिति की बैठक के पद-3 में शिखरीना इन फार्मसी पाठ्यक्रम सभारित करने वाली पुं से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता सभिति द्वारा पहल विचार-विचार कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित शिखरीना इन फार्मसी पाठ्यक्रम सभारित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर सभिति द्वारा विचार-विचार किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रवृत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को उत्तर सम्बद्धता सभिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विस्तारित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | संस्था कोड. | संस्था का नाम | पाठ्यक्रम का नाम | पीसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | पीसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|----------|-------------|---|--------------------|--|--|
| 1 | 424 | एनएनएसएल प्राइमरी और फार्मसी विद्यालय, सुनिपुर, पी.ओ. बंगला, जिला-मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश-209223 | शिखरीना इन फार्मसी | 80 | 80 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईओ/परिषद द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ सत्र 2020-21 प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1882 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद की संस्थाओं को 1882 संस्थाओं के लिए 2020-21 सत्र के लिए निर्धारित शर्तों एवं आवेदनों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण सभिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन करीब इन्फिन्ट पाठ्यक्रमों हेतु रु. 20,000/- प्रतिवर्ष, या करीब भारतीय पाठ्यक्रम हेतु रु. 25,000/- प्रतिवर्ष एवं एक छात्र की प्रति पाठ्यक्रमों (एन एनएसएल प्राइमरी) हेतु रु. 22,000/- प्रतिवर्ष शुल्क ही करेगी। सत्र 2020-21 के अंतर्गत प्रवेश/प्रवेश के द्वारा शिक्षा प्रवेश। उपरोक्त की अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के शुल्क के साथ ही सत्र 2020-21 सत्र-सत्र पर

[Handwritten Signature]

समाचार,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

संख्या दिनांक 09/04/2021

।आवृत्तक ज्ञान।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पार्लेमी कम्प्लेक्स ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विनियमावली तालिका शिक्षण संस्थाओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/04/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संकल्प हुई। बैठक में सशक्ति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश अज्ञात वृद्धि सहित अन्य माहों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश अज्ञात हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4044-S.S.B. COLLEGE OF PHARMACY VILL-KHORRAMPUR, POST-BELAUN, TEHSIL-NIZAMABAD, ZAMGARH-276302

| क्रमांक | पाठ्यक्रम का नाम | पाठ्यक्रम की अवधि/ वीसी/सीआई/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|--|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 30 | 30 |

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडवाइजरी/सीआई/वीसी/सीआई/द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित विनियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित-शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्लेमी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पार्लेमी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22800.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रायिक छात्राध्यक्ष से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्राध्यक्षों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बुझ पर धारण द्वारा निर्भर किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और गैरनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सेवा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु सील का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उज्जैन प्राविधिक शिक्षा समिति/तथा उप-समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करण होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विलय रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विहित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडवाइजरी/सीआई/वीसी/सीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने गये विधिविधियों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं शिद्वेक, प्राविधिक शिक्षा, उज्जैन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उज्जैन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उज्जैन द्वारा बनाये गये विनियमों, विनियमों, आदेशों, शिद्वेकों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियमावली इन पार्लेमी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में शासक उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिये संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा

Principal

S.S. College of Pharmacy

Khorrapur, Nizamabad

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सम्बन्ध

सम्बन्ध दिनांक: 30/08/2022

संख्या- प्राशिपा/परिषद सम्बन्धता/2022/7817

:-कार्यालय नाम:-

उचित कार्यवाही के लिए, संज्ञा/व्यक्ति का निम्नलिखित नाम दिया जा रहा है किनी इस संबंध में 2022-23 हेतु विभिन्न कार्यवाही के लिए संस्थाओं को अनुमति प्राप्त किए जाने के उद्देश्य के लिए प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध/सम्बन्धित विभाग द्वारा किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को जारी किये गए संज्ञा/व्यक्ति की सेवा संबंधित सूची के तहत प्रेषित हुए 2022-23 हेतु जारी संज्ञा/व्यक्ति की कार्यवाही पूर्व से संज्ञा/व्यक्ति की कार्यवाही विभाग/संस्था/उचित व्यक्ति के द्वारा प्रेषित करने हेतु 2022-23 हेतु सम्बन्धित सम्बन्धित विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बन्धित कार्यवाही की सेवा में दिए जाने के लिए संज्ञा/व्यक्ति को उचित/विभिन्न विभाग, 30/08/2022 के तहत 2022-23 हेतु विभिन्न कार्यवाही के उद्देश्य के लिए जारी प्रेषित हुए संज्ञा/व्यक्ति/सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेषित करने हेतु।

संस्था का कोड एवं नाम : 4044-S.S.S. COLLEGE OF PHARMACY

| क्र.सं० | पाठ्यक्रम का नाम | ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---|---|
| 1 | DIPLOMA IN PHARMACY | 60 | 60 |

सम्बन्धित हेतु जारी

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली 2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शिक्षा निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 का शुल्क निर्धारण किया जाता है, तो योज की नवीनतम दर लागू होगी।